भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5136

मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी निवेश

5136. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में नीतिगत सुधारों, अवसंरचना विकास और व्यापार करने में सुगमता संबंधी उपायों के माध्यम से घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने और अधिक औद्योगिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने विनिर्माण, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप्स और उभरते क्षेत्रों का संवर्धन करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र अपने कुशल कार्यबल, पत्तनों, संभार-तंत्र और औद्योगिक गलियारों के कारण औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है;

(घ) महाराष्ट्र के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए, स्वीकृत किए गए और कार्यान्वित निवेश प्रस्तावों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक समूहों, औद्योगिक पार्कों और एमएसएमई को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए अवसंरचना में और सुधार करने, अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार ने घरेलू तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा देशभर में औद्योगिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक नीतिगत सुधार किए हैं, जैसे कि

व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), अनुपालन बोझ में कमी (आरसीबी) और जन विश्वास अधिनियम। औद्योगिक ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ प्रमुख उद्योग-अनुकूल सुधारों अथवा नीतिगत पहलों का विवरण निम्नानुसार है:-

बीआरएपी: व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पूरे भारत में विनियामक सुधारों को आगे बढ़ाती है। नवंबर, 2025 में जारी की गई **बीआरएपी 2026** में **9 सुधार क्षेत्रों और 74 सुधारों** को शामिल किया गया है, जो व्यवसाय के पूरे जीवन-चक्र को कवर करते हैं तथा सरलीकरण, विनियमन में कमी, प्रणाली एकीकरण और ऑनलाइन सेवा प्रदायगी पर केंद्रित हैं। प्रत्येक सुधार को विशिष्ट, सत्यापन योग्य और कार्यान्वयन के लिए तैयार रूप से बनाया गया है, ताकि मापन योग्य परिणाम सुनिश्चित हों और विनियामकीय व्यवधान कम हों।

दक्षता बढ़ाने के लिए, **डीपीआईआईटी ने** कुछ संयुक्त निरीक्षण, मानकीकृत जांच-बिंदु, जोखिम-आधारित कंप्यूटरीकृत प्रणालियां और स्वयं तथा तृतीय-पक्ष ग्राह्यता जैसे सुधार शुरू किए गए हैं, जिन्हें **26 से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों** द्वारा अपनाया जा चुका है।

जिला व्यवसाय सुधार कार्य-योजना (डी-बीआरएपी): इसे किए जा रहे सुधारों को जिला स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से परिकल्पित किया गया था, जिसमें पांच स्तंभों पर लक्ष्य केंद्रित किया गया है: समयबद्ध डिजिटल सेवा प्रदायगी, पारदर्शी निरीक्षण, जिला उद्योग केंद्रों को सुदृढ़ बनाना, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना, तथा जियो-टैग्ड भूमि उपलब्धता के माध्यम से अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य, अंतिम छोर तक शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना और एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस): सरकार के औद्योगिक विकास को सामाजिक विकास के उद्देश्यों के साथ समन्वित करने तथा भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के प्रयासों के तहत, एनएसडब्ल्यूएस को सरकार-से-व्यवसाय के लिए अनुमोदनों हेतु एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया है। वर्तमान में 32 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और 33 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत एकीकृत हैं, जो 300 से अधिक केंद्रीय और 3000 से अधिक राज्य स्तरीय अनुमोदनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसका **'नो योर अप्रूवल्स'**

(केवाईए) मॉड्यूल, 699 केंद्रीय और 7,435 राज्य स्तरीय अनुमोदनों को शामिल करता है, जिससे व्यवसायों को आवश्यक स्वीकृतियों की पहचान करने में सहायता मिलती है। एनएसडब्ल्यूएस, एफडीआई अनुमोदन, जलीय कृषि पंजीकरण, हॉलमार्किंग, स्टार्टअप पंजीकरण और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) अनुमोदन जैसी प्रमुख सेवाओं को भी संचालित करता है।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023: भारत सरकार ने नियमों को तर्कसंगत बनाने और आपराधिक शास्तियों को कम करने के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु विधायी सुधार किए हैं। संसद द्वारा पारित और 11 अगस्त, 2023 को स्वीकृत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण किया गया है।

इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025** को 18 अगस्त, 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे चयन समिति को भेजा गया था, जिसने 12 मार्च, 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके उपरांत 17 मार्च, 2026 को इस विधेयक को वापस ले लिया गया, और आवश्यक परिवर्तनों तथा अतिरिक्त संशोधनों को शामिल करते हुए एक नया विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान (पीएमजीएस-एनएमपी): पीएमजीएस-**एनएमपी** की शुरुआत अक्तूबर, 2021 में की गई। पीएमजीएस-एनएमपी फ्रेमवर्क के माध्यम से अवसंरचना आयोजना के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, समेकित योजना, मल्टीमोडैलिटी, समन्वय, अंतिम छोर तक संपर्क तथा डेटा-आधारित निर्णयों के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। अब तक 16.10 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 352 परियोजनाओं का आकलन किया जा चुका है; इनमें से 201 को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 167 वर्तमान में कार्यान्वयन के चरण में हैं।

स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16, जनवरी 2016 को की गई, जिसका उद्देश्य नवप्रयोग और निवेश को बढ़ावा देकर स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है। इस पहल के अंतर्गत तीन प्रमुख स्कीमों का परिचालन किया जाता है:

i. **स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस)** - इसे सिडबी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है।

ii. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)** - इसकी शुरुआत **01 अप्रैल, 2021** को की गई। यह स्कीम इन्क्यूबेटरों के माध्यम से शुरुआती चरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

iii. **स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस)** - इसकी शुरुआत **01 अप्रैल, 2023** को की गई। यह स्कीम एनसीजीटीसी के माध्यम से बंधक-रहित ऋण उपलब्ध कराती है।

समग्र रूप से ये स्कीमें विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप को विकास क्रम के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं।

एमएसएमई: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अनुपालन को आसान और विनियमों को सरल बनाकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। इसकी प्रमुख पहलों में संशोधित वर्गीकरण, कागजरहित स्व-घोषणा के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने के लिए उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (2023), लंबित भुगतान संबंधी शिकायतों के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल, तथा शिकायत निवारण के लिए चैंपियंस पोर्टल शामिल हैं। किसी एमएसएमई के दर्जोन्नयन के बाद भी तीन वर्षों तक गैर-कर संबंधी लाभ जारी रहते हैं। जुलाई, 2020 के बाद से अब तक 7.92 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 34.95 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजित हुए हैं।

इसके अलावा, एमएसएमई की सहायता के लिए सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किए हैं:

i. आईटीपीओ और अन्य मंचों पर आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और कार्यक्रमों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना।
ii. एमएसएमई के लिए पेटेंट शुल्क में कमी।
iii. एमएसएमई के लिए पेटेंट आवेदनों के शीघ्र जांच की व्यवस्था।

पीएलआई: उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रमुख पहलों में से एक है, जिसे 1.91 लाख करोड़ रुपए के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय से 14 क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के तहत 2.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश प्राप्त हुआ है, 20.41 लाख करोड़

रुपए से अधिक का उत्पादन/बिक्री हुई है तथा 8.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 14.39 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार भी सृजित हुआ है।

जीईएम: इसके अतिरिक्त, गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को सार्वजनिक अधिप्राप्ति के लिए पारदर्शी, कुशल और उत्तरदायी प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया है। जीईएम पूरी तरह से ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण तथा निविदा प्रकाशन से लेकर संविदा प्रदान करने तक की सुचारु प्रक्रियाएं उपलब्ध कराता है, जिससे निष्पक्षता और पहुंच सुनिश्चित होती है। इसमें मिलीभगत को रोकने के लिए बोली प्रस्तुति, चैलेंज रिजेक्शन विंडो और बोलीदाताओं के आईपी एड्रेस की विजिबिलिटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्नत विश्लेषण, ऑर्डर को विभाजित करने, असामान्य खरीद और संभावित कार्टेलाइजेशन जैसी अनियमितताओं का पता लगाने में सहायता करते हैं। प्रत्येक लेन-देन के साथ पूर्ण ऑडिट ट्रेल उपलब्ध होता है, जिससे सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पारदर्शिता और डेटा-आधारित निगरानी और सुदृढ़ होती है।

औद्योगिक विकास में तेजी लाने तथा भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) राष्ट्रीय सुधार पहलों और प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) का रणनीतिक रूप से लाभ उठा रहा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत-ईएफटीए टीईपीए और भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के तहत दीर्घकालिक एफडीआई प्रतिबद्धताएं, मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीमों के अनुरूप की जा रही हैं। डिजिटल अनुपालन और सरलीकृत गुणवत्ता मानदंडों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल की सहायता से प्रमुख उभरते क्षेत्रों में निर्यात का विस्तार करने के लिए भारत-यूके सीईटीए और भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के तहत शुल्क-मुक्त पहुंच का उपयोग किया जा रहा है। इन समझौतों से दस लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की भी आशा है, जिन्हें *स्किल इंडिया* और *स्टार्टअप इंडिया* कार्यक्रमों में एकीकृत किया गया है, जिससे निवेश, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन को मजबूती मिलेगी।

(घ): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, विदेशी निवेश सुविधा (एफआईएफ) पोर्टल पर प्राप्त प्रस्तावों की देखरेख करता है और उन्हें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को अग्रेषित करता है, जो ऐसे मामलों पर कारवाई करने और उनके निपटान के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, विगत तीन वित्त वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान प्राप्त ऐसे एफडीआई प्रस्तावों की मंत्रालय-वार सूची, जिनमें आवेदक द्वारा निवेश प्राप्त करने वाली इकाई की परियोजना/व्यवसाय का स्थान महाराष्ट्र दर्शाया गया है, उनका विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(ङ) और (च): राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) भारत के औद्योगिक परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत 20 अनुमोदित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजनाओं और 306 परिचालित प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा रहा है, जबकि 20 अन्य परियोजनाएं प्रगति पर हैं। राज्यों और निजी भागीदारों के सहयोग से विकसित ये परियोजनाएं, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ नवप्रयोग, सतत विकास और रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं। महाराष्ट्र में एयूआरआईसी, जो भारत के पहले ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों में से एक है, इस विजन की मिसाल प्रस्तुत करता है। यहां राजमार्गों, ड्राई पोर्ट, हवाई अड्डों और रेलमार्गों के माध्यम से मजबूत मल्टी-मोडल संपर्क तंत्र उपलब्ध है, जो लॉजिस्टिक्स दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पीएम गतिशक्ति के साथ सामंजस्य में है।

एनआईसीडीपी का सहयोग करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 विश्व-स्तरीय औद्योगिक पार्कों की स्थापना के उद्देश्य से 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) शुरू की है। डीपीआईआईटी के अंतर्गत एनआईसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 'भव्य' योजना के तहत 100-1000 एकड़ क्षेत्र वाले औद्योगिक पार्कों के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें सड़कों, उपयोगिताओं, आईसीटी प्रणालियों जैसी मुख्य अवसंरचना के साथ-साथ फैक्ट्री शेड, प्रयोगशालाएं और वेयरहाउसिंग जैसी मूल्य-वर्धित सुविधाएं तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुविधाएं भी शामिल होंगी। चुनौती-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 'भव्य' का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना तथा सतत, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

अनुबंध

दिनांक 24.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5136 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अप्रैल, 2022 से मार्च, 2025 तक प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का मंत्रालय / विभाग-वार विवरण जिनमें परियोजना / व्यवसाय का स्थान महाराष्ट्र है			
क्रम सं.	**प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम**	**प्राप्त हुए प्रस्ताव**	**अनुमोदित प्रस्ताव**
1	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	**16**	**9**
2	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	**5**	**4**
3	वाणिज्य विभाग	**4**	**0**
4	आर्थिक कार्य विभाग	**51**	**33**
5	वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग)	**12**	**10**
6	वित्तीय सेवाएं विभाग (बीमा)	**1**	**1**
7	उच्च शिक्षा विभाग (एमएचआरडी)	**1**	**0**
8	औषध विभाग	**20**	**14**
9	अंतरिक्ष विभाग	**1**	**0**
10	दूरसंचार विभाग	**1**	**0**
11	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	**1**	**0**
12	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**8**	**4**
13	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**1**	**0**
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**1**	**0**
15	भारी उद्योग मंत्रालय	**7**	**1**
16	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	**1**	**1**
17	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	**2**	**1**
18	पोत परिवहन मंत्रालय	**2**	**2**
19	वस्त्र मंत्रालय	**1**	**1**
20	पर्यटन मंत्रालय	**1**	**0**
	कुल	**137**	**81**
